

कानून के तहत कोर्ट के फैसले में देय होने
वाले धन को अर्जेंट है। यह प्रकृत कोर्ट के फैसले
में देय किया जाता है। कल दिनांक 20/5/17
को कोर्ट के तहत देय कर दिया है।

5/13

पता वाली आभ रामशव जोड अहालते "कप
आपडे हार" आभे धान थि विर आभपुरा में
पेशा इव 1 पावी व अपावी रूपे उपावित
पावी रूपे अपावी राजीनामा लेव सलमल
मुठी होने से प्रकरा को लेव कोर
में रकिया आरु रकिया रण रकिया गया।
पाघगिन का फयल है कि अपावी लड चालाक
रूपे हुंरु लपाने है उसने सलगा रिकोडा


गोविन्दरत्न
अरुण

रा.मु.उ 24.4.08-10,000प्र.

1-19A
 1-19B
 नी हाथ अरामी नम्बर 4388 रकबा 1.8600 है।
 ग्रामि जमल तरीके से अपने नाम पर उखा
 ली है ग्रामि अपने नाम पर करवाने का
 कोई इस्लावेज भी अर्पायी है पास नहीं है
 एवं न ही कमी भी इस ग्रामि पर कब्जा
 की रहा है। वास्तुतः ग्रामि अरामी वारी ने
 जमल तरीके से खाते उखा है व शक्ति
 पर कब्जा अर्पायी ना है या नहीं यह
 ली मूल वाह में साह्य होने पर हम लेगा।
 मूल वाह के सिखारण से पूर्व मौके व
 रेकॉर्ड ली रसीले से कोई परिवर्तन न
 हो इम्सालिये ऊपर पत्र को पारफर किया
 जाता इन्विज प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के
 आधार पर प्रावधान का प्रयोजन पर लीखा
 दिया जाता है एवं मांजा वगैरह परकार
 होगा गाँवपुरा ली अरामी नम्बर 4388
 रकबा 1.8600 है। ग्रामि के मौके एवं
 रेकॉर्ड ली यथावत रसीले मूल वाह के
 सिखारण मजबूत बनाये रखने हेतु उभय
 पक्ष को जरूरी अर्थात् विवेधाभास से
 पारफर किया जाता है पञ्जावली सिविल
 कोडा संख्या से उभर है।

निर्दिष्ट हुआथा गणपति



उप खण्ड अधिकारी
 गोगुन्दा, जिला, उदयपुर